



सप्ताहिक

बुलंद गोंदिया

खबरों का आईना



प्रधान संपादक : अभिषेक चौहान | संपादक : नवीन अग्रवाल

E-mail : bulandgondia@gmail.com | E-paper : bulandgondia.net | Office Contact No.: 7670079009 | RNI NO. MAH-HIN-2020/84319

वर्ष : 5 | अंक : 03

गोंदिया : गुरुवार, दि. 29 अगस्त से 4 सितंबर 2024

■ पृष्ठ : 4 ■ मूल्य : रु. 5

सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता व पंजीकृत ठेकेदारों को नजर अंदाज कर मजदूर सहकारी संस्था ने हथियाए 17 करोड़ 55 लाख रुपए के कार्य-जीआर की उड़ाई धजियां, सार्वजनिक बांधकाम विभाग का कारनामा

बुलंद गोंदिया (नवीन अग्रवाल) - शासन के अनुसार सार्वजनिक बांधकाम विभाग के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य शिक्षित बेरोजगार अभियंता, मजदूर सहकारी संस्था वह पंजीकृत ठेकेदारों को खुली टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से दिए जाते हैं, लेकिन गोंदिया के सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्रमांक 2 का नया कारनामा सामने आया है जिसमें नियमों की धन्जियां उड़ाकर 17 करोड़ 55 लाख रुपए का कुशल कार्य सिर्फ मजदूर सहकारी संस्था को दे दिए। जिससे बेरोजगार अभियंता व पंजीकृत ठेकेदारों द्वारा उक्त मामले में भारी भ्रष्टाचार होने के गंभीर अपरोप लगाये जा रहे हैं। गौरतलब है कि शासन द्वारा व गोंदिया जिले के दुर्गम क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न कार्य मंजूर किए गए हैं, जिसमें सालेकसा तहसील के अंतर्गत विभिन्न सीमें मार्गों का समावेश है जिसमें 12 करोड़ 50 लाख रुपए की निधि शासन द्वारा मंजूर की गई छिड़ीजन-2 में 5 करोड़ 5 लाख रुपए के कार्यों में 30 लाख के 11 काम वह 25 लाख रुपए के 7 और कामों का समावेश है। जिसमें देवरी तहसील, सड़क अर्जुनी तहसील वह सालेकसा तहसील का समावेश है। उपरोक्त कार्यों को शासन के शासन आरेंज (जी.आर) के अनुसार तीन हिस्सों में बाटकर कार्य दिया जाना होता है। जिसमें 33ल मंजूर सहकारी संस्था, 33ल सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता वह 34ल खुली टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से पंजीकृत ठेकेदारों को कार्य वितरण होता है। लेकिन गोंदिया के सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्रमांक- 2 द्वारा हाल ही में 12 करोड़ 50 लाख रुपए के कार्यों को तीन दिसंसों में विभाजित ना कर सिर्फ मजदूर सहकारी संस्था को ही वितरण किया गया है। जिसके चलते सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता वह पंजीकृत ठेकेदारों में आक्रोश निर्माण

होने के साथ ही इस मामले में अधिकारियों की साड़ाठ व एक राजनीतिक दल के बड़े नेता पदाधिकारी को लाभ पहुंचाने लिए इस प्रकार का भ्रष्टाचार किए जाने का आरोप लगाया जा रहा है। तथा इस मामले में सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता द्वारा शासन को भी निवेदन देकर जानकारी दी गई है तथा शासन को चेतावनी दी गई है कि यदि इस मामले में उक्त साथ अन्याय अन्याय किया गया तो वह न्यायालय की शरण जाकर मामला दर्ज करें। 12-30 करोड़ रुपए के 25 काम 1) पांडरवानी मरघट मार्ग दुरुस्ती करने 50 लाख, 2) पांडरवानी से मरामजोब पुल दूरुस्ती करने 50 लाख, 3) भरीटोला से मरामजोब पुल दूरुस्ती करने 50 लाख, 4) मर्सीटोला पंप हाउस दुरुस्त करने 50 लाख, 5) लोहार मरघट (लभानधर्नी) मार्ग दुरुस्त करने 50 लाख, 6) सिंतेपाला से जोशीटोला मार्ग दुरुस्त करने 50 लाख, 7) इसनाटोला से जोशीटोला मार्ग सुधार कार्य 50 लाख, 8) इसनाटोला कालवा की ओर जाने वाला मार्ग बांधकाम 50 लाख, 9) बंजारी मुख्य मार्ग 50 लाख, 10) खड़कीटोला से बालकरमर्सी मार्ग निर्माण करने 50 लाख, 11) कोसमतररा मरघट मार्ग निर्माण करने 50 लाख, 12) पठारटोला सेजेमाल्कोडी मुख्य ग्रासा निर्माण कार्य करने 50 लाख, 13) कचारगढ़ एप्रोच मार्ग निर्माण करने 50 लाख, 14) योगांडी से चांद सूरज पुल दुरुस्त करने 50 लाख, 15) कोटरा से शिव मंदिर मार्ग दुरुस्त करने 50 लाख, 16) कोटरा वह 34ल खुली टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से पंजीकृत ठेकेदारों को कार्य वितरण होता है। लेकिन गोंदिया के सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्रमांक- 2 द्वारा हाल ही में 12 करोड़ 50 लाख रुपए के कार्यों को तीन दिसंसों में विभाजित ना कर सिर्फ मजदूर सहकारी संस्था को ही वितरण किया गया है। जिसके चलते सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता वह पंजीकृत ठेकेदारों में आक्रोश निर्माण



कुशल कार्य बेरोजगार अभियंता व पंजीकृत ठेकेदारों का

शासन के नियम अनुसार कुशल व अकुशल कार्यों का वर्गीकरण किया गया है जिसमें कुशल कार्य के अंतर्गत पके सीमें कार्य, कंक्रीट कार्य वह नए बांध काम जैसे कार्य बेरोजगार अभियंता वह पंजीकृत ठेकेदारों को दिए जाते हैं तथा मजदूर सहकारी संस्थाओं को अकुशल कार्य मिट्टी, नाली, सूखा वह खड़कीटोला से जोशीटोला पुल दुरुस्त करने 50 लाख, 20) बिजेपर से जाभुरटोला तलाव मार्ग दुरुस्त करने 50 लाख, 21) खातिहुडकी (पांडव

वाणी) उपरसे इन्सेंसिंग की ओर जाने वाला मार्ग का सुधार कार्य 50 लाख, 22) मरामजोब शिव मंदिर मार्ग सुधार कार्य 50 लाख, 23) रुंगाटोला से कड़ोटीटोला मार्ग सुधार करने 50 लाख, 24) तीरखेड़ी से ढिवर टोला मार्ग सुधार कार्य 50 ल 1 ख 2 5 रामाटोला से कुलरभ सुधा

र तुलना में उक्त साथ अन्याय अन्याय किया गया तो वह न्यायालय की शरण जाकर मामला दर्ज करें।

जारी ही है तथा सालेकसा तहसील के अंतर्गत 12 करोड़ 50 लाख रुपए के 25 कार्यों को भी नियमों की अनदेखी कर दिया जा रहा है। इस मामले में शासन को निवेदन दिया जाएगा यदि सुनाई नहीं हुई तो इस मामले में न्यायालय में याचिका दाखिल करेंगे।

- महेश अग्रवाल कोर समिति सदस्य सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता संगठन गोंदिया जिला। न्यायालय में कार्यकारी अभियंता ने लिखित में मांगी थी माफी गत कुछ वर्षों पूर्व सार्वजनिक बांधकाम विभाग के माध्यम से कार्यों का वितरण किया जाता है जिससे कार्यों के लिए मजदूर सहकारी संस्था तग रहा है तथा प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए की शासन की निधि का बंदरवाट होने के साथ ही घटिया कार्य जिले में हो रहे हैं जिससे आम जनता के टैक्स की राशि का जनप्रतिनिधि और नेता वह सत्ता पक्ष द्वारा खुले आम दुर्घटयोग किया जा रहा है।

शासन का जी.आर. व नियम शासन के नियम और जी.आर के अंतर्गत कोई भी कार्यों की तीन प्रेषियां में विभाजित किया गया है जिसमें 33ल सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता, 33ल प्रतिशत मजदूर सहकारी संस्था वह 34ल खुली टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से पंजीकृत ठेकेदारों को दिया जाता है लेकिन इस टेंडर प्रक्रिया व इस कार्यों में यह नियमों का खुले आम उल्लंघन किया गया है। अगली सूची के कार्यों में दिया जाएगा कार्य 17 करोड़ 55 लाख रुपए के कार्यों की प्रक्रिया हो चुकी है। आगामी आने वाले कार्यों की सूची में सुशिक्षित बेरोजगार अभियंताओं को प्राथमिकता देने हुए कार्य दिया जाएगा।

शालिक राव उड़ेंडी कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्रमांक 2 गोंदिया। न्यायालय में दाखिल करेंगे याचिका गोंदिया जिले में सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जिला परिषद में कार्यों के वितरण में काफी अनियमित करती है। जिसमें देवरी तहसील, सड़क अर्जुनी तहसील वह सालेकसा तहसील का समावेश है। जिसके चलते वह सालेकसा तहसील का आशासन दर्ज किया गया है। लेकिन न्यायालय में हालफानामा देने के बावजूद भी इसी प्रकार की हक्रतें कर न्यायालय की अवमानना की जारी ही है। इसके पार जिले में गर्भान्तर विभाग आदि में भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हुए कार्य कीमीशन के चलते वह नेताओं के दबाव में मजदूर सहकारी संस्था वह अन्य उपरोक्त ठेकेदारों को टैंडर मैनेज कर काम दिया जा रहा है। 5 करोड़ 5 लाख रुपए के 18 कार्य सार्वजनिक बांधकाम डिवीजन- 2 में 5 करोड़ 5 रुपए के कार्यों में 30 लाख के 11 काम वह 25 लाख रुपए के 7 और कामों का समावेश है। जिसमें देवरी तहसील वह सालेकसा तहसील का समावेश है। जिसके चलते वह सालेकसा तहसील का आशासन दर्ज किया गया है।

शालिक राव उड़ेंडी कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्रमांक 2 गोंदिया।

न्यायालय में दाखिल करेंगे याचिका गोंदिया जिले में सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जिला परिषद में कार्यों के वितरण में काफी अनियमित करती है।

बेटिया-छात्र हो रहे शिक्षा से वर्चित आदिवासी नागरिकों परेशानी

प्रशासन का गलत नियोजन पर्यायी व्यवस्था न कर पुल को किया बंद यातायात बाधित

बुलंद गोंदिया। (संवाददाता दर्कशा) - गोंदिया जिले के अंतर्गत आने वाली सालेकसा तहसील आदिवासी बहुल होने के साथ विकास से कोसों दूर है जिस पर प्रशासन द्वारा आए दिन गलत नियोजन कर कर क्षेत्र में निवास करने वाले आदिवासी नागरिकों के साथ अन्याय किया जारी है। इसी प्रकार का एक मामला जिसमें आपांव-सालेकसा मार्ग पर बाव नदी के जर्जर बंदर विकास के लिए विभिन्न कार्यों को कार्य वितरण होता है। लेकिन गोंदिया के सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्रमांक- 2 द्वारा हाल ही में 12 करोड़ 50 लाख रुपए के कार्यों को तीन दिसंसों में विभाजित ना कर सिर्फ मजदूर सहकारी संस्था को ही वितरण किया गया है। जिसके चलते आदिवासी नागरिकों को अपरोक्ष विकास के लिए विभिन्न कार्यों को बंद कर दिया जाता है। गौरतलब है कि बेरोजगार

